उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक– 28-2-24

संदर्भ संख्या– H07693 /C-4/NGT-180/2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: <u>Reply/response on behalf of U.P Pollution Control Board in the matter of O.A No. 652 of 2023 Ram Mohan SharmaV/s State of Uttar Pradesh & Ors</u>.

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble NGT has given direction as below:

"------"4. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have the response from (1) State of Uttar Pradesh, through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) Commissioner, Municipal Corporation, Agra (3) District Magistrate, Agra, and (4) UPPCB, through its Member Secretary who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Notices be issued to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response to the averments made in the application within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.03.2024."

In compliance of above reply/response on behalf of U.P. Pollution Control Board is submitted for kind perusal and further action.

Encl: As above

Your's Sincerely,

Chief Environmental Officer
Circle-4

Copy to:Forwarded for further necessary action:

1- Shri Pradeep Mishra, Advocate Hon'ble NGT
2- Law Officer-I, UPPCB, Lucknow

Chief Environmental Officer
Circle-4

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Reply/response on behalf of U.P Pollution Control Board in the matter of O.A No. 652 of 2023 Ram Mohan SharmaV/s State of Uttar Pradesh & Ors.

In the matter of O.A No. 652 of 2023 Ram Mohan Sharma V/s State of Uttar Pradesh & Ors Hon'ble National Green Tribunal pleased order on 11.01.2024. The operative part of the order is as under: -

"4. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have the response from (1) State of Uttar Pradesh, through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) Commissioner, Municipal Corporation, Agra (3) District Magistrate, Agra, and (4) UPPCB, through its Member Secretary who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Notices be issued to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response to the averments made in the application within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.03.2024."

In compliance of the above directions the response on behalf of U.P. Pollution Control Board is as follows:-

1. That, in compliance of Hon'ble NGT order dated 11.01.2024, it is pertinent to mention that earlier the complaint has been received in the Regional Office, UPPCB, Agra through Central Pollution Control Board on dated 13.07.2023 and letter has been send to Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra for necessary action and disposal of the complaint on dt. 13.07.2023. The copy of the letter dated 13.07.2023 is enclosed as **Annexure-I**
2. That, Mr. Rajeev Baliyaan, In Charge-Zonal Sanitary Officer (M) was nominated on behalf of Municipal Commissioner, Agra and Joint inspection of the complaint site has been done on dt. 21.02.2024 by Mr. Kshitesh Patel, Assistant Scientific Officer, U.P Pollution Control Board, Agra and Mr. Rajeev Baliyaan, In-charge Zonal Sanitary Officer (M). At the time of inspection Mr. Rajveer Singh, Chief Sanitary & Food Inspector (CSFI), Municipal Corporation, Agra contacted Mr. Ram Mohan Sharma on his mobile no-9719390193 and requested him to be available during inspection. Mr. Ram Mohan Sharma informed that now he is satisfied that garbage dustbins have been removed.
3. That, the inspection of three sites namely (1) Near Bulaki Baba Mandir, Hathi Ghat (2) Rawat Para, Daresi, Chatta ward, Agra (3) Belan Ganj Tihara, Agra has been done Joint Committee. During inspection Mr. Rajveer Singh(CSFI) informed that earlier dustbins were kept in the market places to collect solid waste generated from the shops which now has been removed and directed the shopkeepers to make their own arrangement for keeping the solid waste and handover to door-to-door garbage collection vehicle. Now all the dustbins have been removed from the market places.

4. That, Shri Rajeev Baliyaan, In-charge Zonal Sanitary Officer (M), Municipal Corporation, Agra further informed that city is divided in 04 Zones &100 wards within municipal limit. For door-to-door collection of the solid waste from 100 wards, Municipal Corporation has deployed 339 vehicles and 1006 Safai Mitras.

For the collection of solid waste Municipal Corporation Agra hired 02 firms namely: -

- M/s J.S Enviro Services – 06 wards
- M/s Swachhta corporation – 94 wards

The collected solid waste is transferred through the different transfer stations located within the municipal limit in Agra. Detail of the transfer stations is given below:-

S.No.	Site in Agra	No. of stations	Capacity
1.	Near Shoe Market (Joota Mandi) Raj nagar, Loha mandi	01 no.	52.5 cubic meter
2.	All India radio station, Shamsabad Road	01 no.	21.5 cubic meter
3.	In front of CWR, Sanjay place	01 no.	47.5 cubic meter
4.	Behind ISBT, Transport Nagar	02 no.	52.5 cubic meter
5.	Behind ISBT, Transport Nagar	02 no.	111.0 cubic meter
6.	Behind Sen Dharam Kanta, Rambagh	01 no.	31.5 cubic meter

The solid waste is transported through covered loading vehicles from the transfer stations to the processing plants.

The inspection report along with the photographs during the visit is being attached as **annexure-II.**

The above reply/response is being submitted for perusal and consideration.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Annexure-I

A-1

e-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 9419 / 06-97 / 2023 दिनांक – 13 / 07 / 2023

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
आगरा।

विषयः– आगरा नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड / जोन छत्ता में यमुना जी के डूब क्षेत्र व धर्मस्थलों के बराबर में दरेसी पर रखे अवैध कूड़ेदान, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, गंदगी, बदबू व पर्यावरण को नुकसान, पवित्र श्रावण मास में शहर की छवि धूमिल कर रहे कूड़ेदानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त ई–मेल दिनांक 13.07.2023 जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई–मेल दिनांक 12.07.2023 के माध्यम से प्राप्त हुई है में शिकायतकर्ता श्री राममोहन शर्मा, 20 / 108, बेलनगंज, यमुना किनारा, आगरा (मो0 नं0– 9719390193) द्वारा अपने ई–मेल दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से प्रेषित शिकायती पत्र (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा नगर निगम, आगरा के वार्ड छत्ता में धार्मिक स्थलों के पास अवैध कूड़ेदान रखने से गंदगी व बदबू होने की शिकायत की गयी।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त समस्या का निराकरण हो सके।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. लोक शिकायत प्रकोष्ठ, सदस्य सचिव कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री राममोहन शर्मा, 20 / 108, बेलनगंज, यमुना किनारा, आगरा (मो0 नं0–9719390193) को शिकायती पत्र दिनांक 06.07.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D:drive/2017/other work

Gmail

RO Agra <roagra@uppcb.in>

Fwd: विषय-आगरा नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड /जोन छत्ता में यमुना जी के डूब क्षेत्र व धर्मस्थलों के बराबर में दरेसी पर रखे अवैध कूड़ेदान,धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं,गंदगी,बदबू व पर्यावरण को नुकसान, पवित्र श्रावण मास में शहर की छवि धूमिल कर रहे कूड़ेदानों को हटाया जाए

1 message

WMD 1 <wmd1@uppcb.in> Thu, Jul 13, 2023 at 1:19 PM
To: RO Agra <roagra@uppcb.in>
Cc: CEO 4 <ceo4@uppcb.in>

---------- Forwarded message ---------
From: **MS UPPCB** <ms@uppcb.in>
Date: Wed, Jul 12, 2023 at 4:58 PM
Subject: Fwd: विषय-आगरा नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड /जोन छत्ता में यमुना जी के डूब क्षेत्र व धर्मस्थलों के बराबर में दरेसी पर रखे अवैध कूड़ेदान,धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं,गंदगी,बदबू व पर्यावरण को नुकसान, पवित्र श्रावण मास में शहर की छवि धूमिल कर रहे कूड़ेदानों को हटाया जाए
To: WMD 1 <wmd1@uppcb.in>

---------- Forwarded message ---------
From: **Public Complaints** <prc.cpcb@nic.in>
Date: Wed, Jul 12, 2023 at 4:36 PM
Subject: Fwd: विषय-आगरा नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड /जोन छत्ता में यमुना जी के डूब क्षेत्र व धर्मस्थलों के बराबर में दरेसी पर रखे अवैध कूड़ेदान,धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं,गंदगी,बदबू व पर्यावरण को नुकसान, पवित्र श्रावण मास में शहर की छवि धूमिल कर रहे कूड़ेदानों को हटाया जाए
To: <ms@uppcb.in>
Cc: <cpcb.lucknow@gmail.com>, CPCB RD LUCKNOW <rdlucknow.cpcb@gov.in>, D K Soni <dksoni.cpcb@nic.in>, <rammohansharma42285@gmail.com>

महोदय/महोदया

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त शिकायत को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। शिकायत की जाँच तथा कार्रवाई की सूचना प्रेषित करने का कष्ट करे।

सादर,

लोक शिकायत प्रकोष्ठ
सदस्य सचिव कार्यालय
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दिल्ली

13/7/23

From: "Chairman CPCB" <ccb.cpcb@nic.in>
To: "Public Complaints" <prc.cpcb@nic.in>
Cc: "Member Secretary CPCB" <mscb.cpcb@nic.in>
Sent: Thursday, July 6, 2023 11:16:07 AM
Subject: Fwd: विषय-आगरा नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड /जोन छत्ता में यमुना जी के डूब क्षेत्र व धर्मस्थलों के बराबर में दरेसी पर रखे अवैध कूड़ेदान,धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं,गंदगी,बदबू व पर्यावरण को नुकसान, पवित्र श्रावण मास में शहर की छवि धूमिल कर रहे कूड़ेदानों को हटाया जाए

ammohansharma42285@gmail.com
ief Minister Office Uttar Pradesh" <cmup@nic.in>, "CHIEF SECRETARY GoUP" <csup@nic.in>,
p@gmail.com, governmentofup@gmail.com, bhupendraupbjp@gmail.com, dharampal4bjp@gmail.com, "acsud
" <acsud.goup@gmail.com>, "dmagra agra" <dmagra.agra@gmail.com>, blsanthosh@bjp.org,
ppresident@gmail.com, "Commissioner Agra" <commagr@nic.in>, contact@tej.net.in, "Member Secretary
CB" <mscb.cpcb@nic.in>, "Chairman CPCB" <ccb.cpcb@nic.in>, "DR. SARVAN SINGH BAGHEL" <osd-
no.up@up.gov.in>, "Director ULB, Uttar Pradesh" <diruplb@nic.in>, "DM Agra" <dmagr@nic.in>,
editor@lko.amarujala.com, hardeepsinghpuri52@gmail.com, "indiaportal" <indiaportal@gov.in>,
kumarsunilbjp@gmail.com, lucknow@lko.jagran.com, "Ms Leena Nandan" <secy-moef@nic.in>, "Hardeep S Puri"
<minister-mohua@nic.in>, "annfeedback mayor" <annfeedback.mayor@gmail.com>, "Arvind Kumar Sharma"
<minister.ude@up.gov.in>, ministernvup2017@gmail.com, nagarvikas0004@gmail.com, "so nagarvikas"
<so.nagarvikas@gmail.com>, nagarvikasso01@gmail.com, sachivnv@gmail.com, "upinformation"
<upinformation@nic.in>, contactus@rss.org
Sent: Thursday, July 6, 2023 10:47:27 AM
Subject: विषय-आगरा नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड /जोन छत्ता में यमुना जी के डूब क्षेत्र व धर्मस्थलों के बराबर में दरेसी पर रखे अवैध कूड़ेदान,धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं,गंदगी,बदबू व पर्यावरण को नुकसान, पवित्र श्रावण मास में शहर की छवि धूमिल कर रहे कूड़ेदानों को हटाया जाए

महोदय,
आगरा नगर निगम के जोन/वार्ड छत्ता में हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों व धर्म स्थलों के पास नगर निगम के कूड़ेदान रख दिए गए हैं। एक स्थान यमुना जी के डूब क्षेत्र में हाथी घाट पर बुलाखी बाबा मन्दिर के नजदीक है, वहां पर अन्य मन्दिर भी है और श्रद्धालु यमुना जी में स्नान करने भी [redacted]ाते हैं। इसे हटाना जनहित व धर्म हित में अत्यंत आवश्यक है ताकि जनमानस की भावनाएं आहत न हों। इस कूड़ेदान के लिए एनजीटी से अनुमति नहीं ली गई है और यदि ली गई है तो उसे निस्तारण आख्या में संलग्न नहीं करते हैं। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर आम जनता के जीवन से व धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ MNSA डॉ. पवन कुमार, ZSO इंद्रजीत सिंह व CSFI राजवीर सिंह द्वारा द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है।

दूसरा कूड़ेदान रावत पाड़ा,दरेसी, वार्ड जोन छत्ता आगरा में कई धर्मस्थलों के बराबर में रखे कूड़ेदान को हटाया जाए। यह क्षेत्र आगरा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है लाखों लोगों का आवागमन होता है और इस नरक के दर्शन करते हैं। आगरा का सबसे प्राचीन मंदिर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर भी नजदीक ही है। मुगल काल की जामा मस्जिद भी नजदीक ही है जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहां कूड़ा गंदगी सड़क पर फैलता रहता है और जानवर उसमे ही लगे रहते हैं तथा आसपास खाने पीने की स्थाई अस्थाई अनेकों दुकानें हैं लोग बदबू, गन्दगी में खाते हैं। क्षेत्र का नारकीय वातावरण है।

एक ओर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपनों की योजना स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है कि शहर साफ़ सुथरे दिखे और छवि सुधरे लेकिन MNSA डा. पवन कुमार, ZSO इंद्रजीत सिंह, CSFI राजवीर सिंह प्रधान मंत्री व मा.मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की विचारधारा के विपरीत कार्य करते हैं और अपने स्वार्थ में लिप्त हैं और पूरे छत्ता जोन की सफाई सिर्फ़ ट्रिक फ़ोटो शूट से ही हो रही है। ये तीनों अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। इनको इन दोनों कूड़ेदान हटाने के लिए Central pollution control board भी आदेशित कर चुका है और उनके द्वारा शिकायत दर्ज कर आगरा नगर निगम में भेज दी गई है लेकिन ये तरह तरह से बहाने बना रहे हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी इनको पूर्वाभास हो गया है। शिकायत दर्ज कराने पर तथ्य छिपाकर फर्जी आख्या पत्र बना कर रख लिया है, उससे फर्जी आख्या देते हैं।

दोनों हीं जगह नगर निगम के कूड़ेदान की चिन्हित भूमि नहीं है। जहां पर चिन्हित भूमि होती है वहां से ये तीनों रिश्वत लेकर डस्टबिन हटा देते हैं और फोटों भी भूमाफिया के साथ खिंचाते है। कहीं पर एक रिक्शा कूड़ा डलता हो और वहां इनको घूस मिल जाए तो ये बड़े जोर शोर से कूड़ेदान विलोपित का डंका बजा देते हैं।लेकिन इन दो स्थानों पर कोई घूस देने वाला नहीं है तो अड़चन व आनाकानी कर जनता के स्वास्थ्य व हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से इनके द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है।
गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शहरों की साफ़ छवि को लेकर स्पष्ट आदेश हैं कि छवि खराब नहीं होनी चाहिए लेकिन ये तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की छवि खराब करने का बीड़ा लिए हुए है क्योंकि ये विपरीत मानसिकता से ग्रस्त हैं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और ये नगर निगम अधिकारियों की हिंदू धर्म विरोधी मानसिकता है और ये श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में लिप्त हैं। जहां रिश्वत मिल जाती है वहां कूड़ेदान को विलोपित कर देते हैं तो वहां का कूड़ा निस्तारण कैसे होता है, उसी प्रकार से यहां भी किया जाए।

अतः आपसे निवेदन है कि किन्ही सक्षम अधिकारी से गोपनीय रूप से दोनों स्थानों की वास्तविकता जानने हेतु दौरा कराया जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी।दोनों डस्टबिन को तुरन्त हटाया जाए और वहां के कूड़े को साथ के साथ ही हटाया जाए और पर्यटकों व धर्म स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को नरक दर्शन व अपवित्र हो रहे माहौल से बचाया जाए तथा शहर व सरकार की छवि धूमिल न की जाए।
सादर,
आवेदक
राममोहन शर्मा
20/108,बेलनगंज, जमुना किनारा
आगरा - 282 004
Mo. 9719390193
Email- rammohansharma42285@gmail.com
संलग्न -उपरोक्तानुसार 12

A-2 by hand KPSin 24/2/24

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :— 03 / डी0 / पी0ए0 / ए0एन0ए0—कैम्प / 2024 दिनांक :— 21 फरवरी, 2024

संशोधित कार्यालय आदेश

विषय :— **मा0 हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 652 / 2023 राममोहन शर्मा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0—52 / नौ—5—2024—05रिट / 2024 नगर विकास अनुभाग—5 दिनांक 06 फरवरी, 2024 के माध्यम से मा0 हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 652 / 2023 राममोहन शर्मा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत Reply/Response दाखिल करने / आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email- soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email- ms@uppcb.in) पर उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति नगर विकास विभाग को भी उपलब्ध जाने के निर्देश जारी किये गये हैं (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है)।

उपरोक्त जारी दिशानिर्देशों के कम प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्यालय के पत्र सं0 459 / डी0 / ए0एन0ए0 / 2024 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा प्रभारी—स्वास्थ्य को प्रभारी अधिकारी, नगर निगम, आगरा को नामित करते हुए उपरोक्त के कम में प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही कराते हुए सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email- soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email- ms@uppcb.in) पर उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति नगर विकास विभाग को भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। प्रभारी—स्वास्थ्य डा0 अश्वनी कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त के नगर निगम, आगरा से स्थानान्तरण होने के दृष्टिगत् उक्त जारी आदेशों को संशोधित कर इस कार्य को समय से पूर्ण कराने के लिए **श्री राजीव वालियान, प्रभारी—जेड0एस0ओ0(मु0) (मो0नं0 9305480675)** को प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

संलग्नक :— यथोपरि।

(सुरेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :—

1. संयुक्त सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. निदेशक महोदय, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0—लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
4. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
5. श्री राजीव वालियान, प्रभारी—जेड0एस0ओ0 (मु0) को अनुपालनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ADM (C) / ROPCB 1093/E

(सुरेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर नगर आयुक्त

JA Pl. put up 24/2/24 AJO

जिलाधिकारी
आगरा
23/2/24

Annexure-II

E-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –2232/ओजी–711/2024 दिनांक –28/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A No. 652 of 2023 Ram Mohan Sharma V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में किये गये संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **O.A No. 652 of 2023 Ram Mohan Sharma V/s State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेशों के कम में दिनांक 21.02.2024 को श्री राजीव बालियान, जेड0एस0ओ0 (मु0), नगर निगम, आगरा के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

28/2/24

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

28/2

Joint Inspection Report in the matter of O.A No. 652 of 2023 Ram Mohan Sharma V/s State of Uttar Pradesh & Ors.

In the above matter, Mr. Ram Mohan Sharma made complaint that one such dustbin has been kept in the flood plain of River Yamuna at Hathi Ghat near Bulakhi Baba Mandir. Other such dustbins have been kept at Rawat Pada Daresi, Chatta Ward, Agra adjoining number of religious places including Shri Mankameshwar Mahadeo Mandir and Jama Masjid. Placing of such dustbins is violative of the statutory provisions and directions given by this Tribunal regarding door-to-door collection of the solid waste and is causing damage to environment and hurting the religious sentiments of pilgrims.

It is pertinent to mention that earlier the complaint has been received in the office of U.P Pollution Control Board through Central Pollution Control Board on dated 13.07.2023 and letter has been send to Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra for the disposal of the complaint on dt. 13.07.2023. **Annexure-1**

In Compliance of Hon'ble National Green Tribunal order, office of the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra has nominated Mr. Rajeev Baliyaan, In Charge-Zonal Sanitary Officer (M) on behalf of Municipal Commissioner, Agra. **Annexure-2**

Joint inspection of the complaint site has been done on dt. 21.02.2024 by Mr. Kshitesh Patel, Assistant Scientific Officer, U.P Pollution Control Board, Agra and Mr. Rajiv Baliyan, In charge-Zonal Sanitary Officer (M). At the time of inspection Mr. Rajveer Singh, Chief Sanitary & Food Inspector (CSFI), Municipal Corporation, Agra contacted Mr. Ram Mohan Sharma on his mobile no-9719390193 to be available during inspection. Mr. Ram Mohan Sharma informed that now he is satisfied that garbage dustbins have been removed.

Inspection of three sites namely (1) Near Bulaki Baba Mandir, Hathi Ghat (2) Rawat Para, Daresi, Chatta ward, Agra (3) Belan Ganj Tihara, Agra has been done. During inspection Mr. Rajveer Singh (CSFI) informed that earlier dustbins were kept in the market places to collect solid waste generated from the shops which now has been stopped and directed the shopkeepers to make their own arrangement for keeping the solid waste and handover to door-to-door garbage collection vehicle. Now all the dustbins has been removed from the market places. Photographs during the visit is being attached as **annexure-3.**

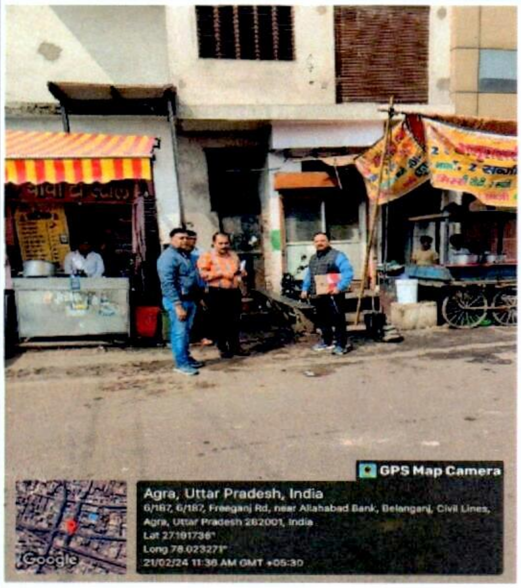

Mr. Rajiv Baliyan, In-charge Zonal Sanitary Officer (M), Municipal Corporation, Agra informed that the city is divided administratively in 4 Zones and 100 wards for ease of work. For Door to Door collection of the solid waste from 100 wards, Municipal Corporation has deployed 339 vehicles and 1006 Safaimitras. For this work of solid waste collection and transportation , Municipal Corporation Agra has engaged 02 firms namely: -

- M/s J.S Enviro Services Pvt. Ltd. – 06 wards
- M/s Swachhta corporation – 94 wards

The collected solid waste is transferred through the different transfer stations located within the municipal limit in Agra. Detail of the transfer stations is given below:-

Sr. No.	Site in Agra	No. of stations	Capacity
1.	Near Shoe Market (Joota Mandi) Rajnagar, Loha mandi	01 no.	52.5 cubic meter
2.	All India radio station, Shamsabad Road	01 no.	21.0 cubic meter
3.	In front of CWR, Sanjay place	01 no.	47.5 cubic meter
4.	Behind ISBT, Transport Nagar	02 no.	52.5 cubic meter
5.	Behind ISBT, Transport Nagar	02 no.	111.0 cubic meter
6.	Behind Sen Dharam Kanta, Rambagh	01 no.	31.5 cubic meter

The solid waste is transported through covered loading vehiclesfrom the transfer stations to the processing plants. Report is being submitted for your kind perusal and necessary action.

27/2/24
(Kshitesh Patel)
Asst. Scientific Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Agra

27-02-24
(Rajiv Baliyan)
In-charge Zonal Sanitary Officer (M),
Municipal Corporation,
Agra